संख्या– 4003 / V-श0वि–06–500(सा0–1) / 2006

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास,
उत्तरांचल, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग देहरादूनः दिनांक : 9 नवम्बर, 2006

विषय : **नगर पालिका परिषद, श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल में अवस्थापना विकास निधि से विभिन्न 02 कार्यो हेतु वर्ष 2006–07 में प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित **नगर पालिका परिषद, श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल** में अवस्थापना विकास निधि से प्रस्तावित 02 कार्यो हेतु प्रस्तुत रू.–148.10 लाख की लागत के आगणन के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त **संस्तुत रू0–127.30 लाख (रूपये एक करोड़ सत्ताईस लाख तीस हजार मात्र)** की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इनती ही धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

2– अवस्थापना विकास मद से स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्थानीय निकायों के द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का संयुक्त रूप से एक पृथक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोल कर जमा किया जायेगा,किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाय, इसके लिए संबंधित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

3– उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना / मद में नहीं किया जायेगा।

4– टाईल सड़कों के निर्माण हेतु शासकीय सं0–3173 / V-श0वि0 / 2006, दिनांक–30–08–2006 जोकि वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है, का अनुपालन बाध्यकारी होगा।

5– स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं / कार्यो पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

6– संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु

(मायावती ढकरियाल)
अनुसचिव
शहरी विकास विभाग
उत्तरांचल शासन

सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी के अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

7– निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिए जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

8– कार्यदायी संस्था का निर्धारण शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005, दिनांक 05 अप्रैल, 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

9– यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं तब सम्बन्धित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को दिनांक 31 मार्च, 2007 तक समर्पित कर दी जायेगी।

10– कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय? पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगाया जायेगा। कार्य होने की पुष्टि में कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व व पूर्ण करने के बाद कार्यदायी संस्था द्वारा ई0ओ0 के माध्यम से निदेशक को कार्य के चित्र लेकर प्रेषित किया जायेगा।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथाआवश्यकता ही किश्तों में आहरण किया जायेगा।

12– सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो संबंधित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।

13– आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

14– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।

15– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टी के मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

16– विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने के पूर्व समस्त कार्यो का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।

(मायावती ढकरियाल)
अनुसचिव
...ी विकास विभाग

नगर पालिका परिषद,श्रीनगर,पौड़ी गढ़वाल।
शासनादेश सं0– 4/003/V-श0वि–06–189(सा0)/2005, दिनांक– 7 नवम्बर, 2006 का संलग्नक।

क्रमांक	कार्य का नाम	आगणन की लागत(लाख रू0 में)	टी0ए0सी0 से अनुमोदित (लाख रू0 में)
1	मुख्य मोटर मार्ग पर तिमंजिले शापिंग कामप्लैक्स का निर्माण	131.00	110.30
2	वार्ड संख्या–6 में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन तिराहे से बुधाणी मार्ग की सी0सी0टाईल्स सड़क एवं नाली निर्माण	17.10	17.00
	कुल योग	148.10	127.30

(रूपये एक करोड़ सत्ताईस लाख तीस हजार मात्र)

(मायावती ढकरियाल)
अनुभाग
शहरी विकास विभाग
उत्तरांचल शासन

17– निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपर्युक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

18– शासनादेश निर्गत होने की तिथि से उक्त कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी शासन को एक वर्ष के भीतर उपलब्ध करा दिया जाये और उक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

19– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों के समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

20– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–939/XXVII(2)/2006, दिनांक–31 अक्टूबर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव

संलग्नकः यथोपरि।

संख्याः 4003 (1)/श0वि0–06–500 (सा0–1)/2006,तद् दिनांक 9/11/06

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
6– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
7– निदेशक, एन.आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
8– अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद,श्रीनगर,जनपद पौडी गढवाल।
9– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
अनुसचिव
शहरी विकास विभाग
उत्तरांचल शासन

(एन0के0 जोशी)
अपर सचिव